कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0 – 01373-223433, Email - gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 855 / 12-1 पुरोलाः दिनांक 29/10/ 2021

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–394/2013 के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सुपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42.00 मी0 स्पान के लौह मोटर सेतु के निर्माण हेतु वांछित 0.224 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/OTHER/9741/2015.)**

सन्दर्भः– **आपके कार्यालय की पत्र संख्या–1628/12–1, दिनांक–27 अक्टूबर, 2021।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी0 स्पान का स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु 0.224 है0 वन भूमि का आपके कार्यालय स्तर से लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाइन सादर प्रेषित है :–

S. No.	Proposal No.	Objection	Clarification
1.	FP/UK/OTHER/9741/2015	बिन्दु संख्या 1 के क्रम में आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नोडल कार्यालय के स्तर से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है का उल्लेख किया गया है। जबकि बिन्दु संख्या 1 में भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक – 19.02.2021 में 01.08.2018 की अनुपालन आख्या 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में नोडल कार्यालय को प्रकरण में गम्भीरता से परीक्षण कर परिपूर्ण उत्तर एक साथ प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। ऑनलाईन प्रस्ताव एवं उच्च स्तर से इंगित ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण/प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत प्रेषित किये जाने एवं विलम्भ स्तर/प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय की आख्या दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, पुरोला, उत्तरकाशी द्वारा सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण किया गया है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा **पार्ट–I** के **Additional Information** में अपलोड किया गया है। **संलग्नक–01।**
2.		बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आपके द्वारा उक्त लौह मोटर सेतु का निर्माण गोविन्द वन्यजीव विहार/रा0पा0, पुरोला के वन्यजीव विहार, संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उल्लेख है जैसा कि DFO की SIR में दर्ज है। जबकि Online part-II के पैरा 2 के कॉलम 4 में RF दर्ज/अपलोड है। Part-II एवं हार्ड प्रति में एकरुपता रखी जाय।	तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है।

3.		बिन्दु संख्या 7 के क्रम में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उच्च स्तर से दिये गये निर्देशानुसार DFO स्तर की पुरानी SIR Report को ऑनलाईन भाग - II से हटा दिया गया है। जबकि ऑनलाईन भाग - II के पैरा 16 में अभी भी DFO स्तर की पुरानी SIR Report अपलोड है। कृपया ऑनलाईन भाग - II के पैरा 16 में DFO स्तर की पुरानी SIR Report के स्थान पर Recommendation Letter अपलोड किया जाय।	तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, पुरोला, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला
Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Purola

दूरभाष / फैक्स संख्या 01373–223324 E-Mail ID-eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांकः– 1705 / वनभूमि दिनाँकः– 28/ 10 /2021

सेवामें,

उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार,
पुरोला (उत्तरकाशी)

विषय :– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण हेतु 0.224 हे0 भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0 FP/UK/Others/9741/2015 दिनांक 01–03–2018**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 828/12–1 पुरोला दिनांक 27–10–2021**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1628/12–1 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के बिन्दु सं0 01 में विलम्ब हेतु आख्या दिये जाने की अपेक्षा की गयी है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक 213/12–01 पुरोला दिनांक 08–08–2018 के द्वारा 12 बिन्दुओं की आपत्ति खण्ड स्तर से निस्तारित किये जाने हेतु लिखा गया था, जिसका निस्तारण इस कार्यालय के पत्रांक 998/वनभूमि दिनांक 09–09–2020 के द्वारा किया गया। उक्त आपत्तियों के निराकरण में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराना है –

1. पूर्व में जियोरिफरेंस मैप के स्थान पर गूगल मैप अपलोड किये जाने के निर्देश थे, ई0डी0एस0 आपत्ति के बिन्दु सं0 11 के अनुपालन में पुनः ड्राफ्ट लगाकर नोडल कार्यालय से जियोरिफरेंस मैप तैयार करवाकर पुनः सभी स्तरों से हस्ताक्षर की कार्यवाही की गयी।
2. उक्त काल में सम्बन्धित सहायक अभियंताओं का स्थानान्तरण होने के कारण पुनः वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में हस्ताक्षर एवं अथ्योरिटी लैटर जारी करने की कार्यवाही की गयी।
3. आपत्ति के बिन्दु सं0 13 में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मिनट्स ऑफ मीटिंग से सम्बन्धित अभिलेख अपलोड किये जाने थे, किन्तु खण्ड में तथा आपके कार्यालय में NBWL से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण बिन्दु निस्तारण नहीं किया जा सका, उक्त अभिलेख माह सितम्बर/2020 में नोडल कार्यालय से प्राप्त किये गये जिसकी प्रति आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1080/1सी. दिनांक 29–09–2020 के द्वारा आपके कार्यालय को भी उपलब्ध करा दी गयी थी।
4. दिनांक 23–03–2020 से देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण तथा तत्पश्चात कोरोना काल में अन्य विभागों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निशेध होने के कारण भी प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही, पत्राचार तथा नोडल कार्यालय से अभिलेख प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

उपरोक्त कारणों से प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण में विलम्ब हुआ है।

अतः आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

प्रतिलिपि कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून उत्तराखण्ड को उनके पत्र सं0 1628/12–1 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।